न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 31 / 2018

GCMS Case No. 2018 / 00051

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थी:–**

सरकार जरिये तहसीलदार रानी

1. धनाराम पुत्र नैनाराम
2. तलसाराम पुत्र नैनाराम
3. हीराराम पुत्र नैनाराम जाति सिरवी निवासी ढोला तहसील सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक 11.3.2024

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम माण्डल, पटवार मण्डल माण्डल तहसील रानी के खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है एवं वर्तमान में कब्जा काश्त है। ग्राम माण्डल की गत मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार उक्त आराजी की किस्म गै.मु.नाडा के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। नियमन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 के अनुसार खसरा नम्बर 165/2 में से 0.19 बीघा भूमि रूपाराम पुत्र चमना को आवंटित की गई। आवंटन की पालना में आवंटी रूपाराम पुत्र चमनाराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 26.04.1974 के जरिये खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी रूपाराम पुत्र चमनाराम द्वारा उक्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पुराराम, जगाराम पि. ओटाजी जाति चौधरी के पक्ष में बेचान किया, जिन्होने उक्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अप्रार्थीगण के पक्ष में बेचान किया, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 931 के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया, चूंकि इस भूमि कि किस्म गैर मुमकिन नाडा थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै.मु. नाडा थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। पक्षकार सही तरीके से बनाया गया है अब्दुल रहमान से लक्षित है। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 26.04.1974 को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

अपास्त करावें एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए हस्तान्तरण के आधार पर दायर सभी नामान्तरकरण को अपास्त कराते हुए भूमि की किस्म पुनः गै.मु. नाडा दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम माण्डल तहसील रानी के खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। ग्राम माण्डल की गत मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार उक्त आराजी की किस्म गै.मु.नाडा के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। आवंटन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 के जरिये खसरा नम्बर 165/2 में से 0.19 बीघा भूमि रूपाराम पुत्र चमना को आवटिंत की गई। उक्त आंवटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 284 के जरिये आवंटी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.02.1989 के द्वारा रूपाराम, जगाराम पुत्र ओटाजी को बेचान किया, जिन्होने जरिये बेचान रजिस्ट्री 09.05.1990 से अप्रार्थीगण को बेचान कर दिये जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 931 के अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि इस भूमि कि मूल किस्म गैर मुमकिन नाडा थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। आवंटन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 द्वारा आवंटी रूपाराम पुत्र चमना के नाम गैर मुमकिन नाडा की भूमि में से 0.19 बीघा भूमि का आवंटन किया, जो कालान्तर में हस्तान्तरित होकर अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई हैं। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म नाडा थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नाडा दर्ज की जानी हैं। अतः आवंटन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 284 एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन आदेश क्रमांक/799 दिनांक 09.08.1971 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 284 एवं साथ ही इसके पश्चातवर्ती क्रम में हुए समस्त नामान्तरकरण को अपास्त करते हुए ग्राम मांडल तहसील रानी के खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि की किस्म पुनः गै.मु. नाडा दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली